अध्याय 5

सेवा कर

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

85. वित्त अधिनियम, 1994 में,—

(अ) धारा 65 में, उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (7क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(7ख) ''सहयुक्त उद्यम'' का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में है ;'; 1961 का 43

(2) खंड (12) में,—

(क) उपखंड (क) की मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) दलाली, और विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन संपरिवर्तन भी है ;'';

(ख) उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल या विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यौहारी या किसी प्राधिकृत धन संपरिवर्तक द्वारा, उनसे भिन्न जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, प्रदान की गई विदेशी मुद्रा दलाली और विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन संपरिवर्तन भी है ;'';

(ग) इस प्रकार यथासंशोधित उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि ''विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन संपरिवर्तन भी है'' के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय भी है, चाहे, यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय के लिए प्रतिफल पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ;';

(3) खंड (19) में,—

(क) उपखंड (ii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के संवर्धन या विपणन के संबंध में सेवा'' के अंतर्गत कक्षीकार द्वारा किसी भी रूप में या किसी भी नाम से आयोजित, संचालित या संवर्धित भाग्य के खेल के संवर्धन या विपणन के संबंध में, चाहे आन लाइन द्वारा संचालित की गई हो या नहीं, जिसके अंतर्गत लाटरी, लोटो, बिंगो भी है, उपलब्ध कराई गई कोई सेवा है;';

(ख) ''कोई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और'' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(4) खंड (23) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(23) ''स्थोरा उठाई-धराई सेवा'' से स्थोरा की लदाई, उतराई, पैकिंग या पैकिंग हटाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) विशेष आधानों में ढुलाई के लिए या गैर आधानीकृत ढुलाई के लिए दी गई स्थोरा की उठाई-धराई सेवाएं, सभी प्रकार के परिवहन के लिए किसी आधान ढुलाई टर्मिनल या किसी अन्य ढुलाई टर्मिनल द्वारा दी गई सेवाएं और ढुलाई से आनुषंगिक और स्थोरा उठाई-धराई सेवा ; और

(ख) लदाई, उतराई, पैकिंग हटाने जैसी एक या अधिक अन्य सेवाओं सहित या रहित स्थोरा या माल के परिवहन के साथ पैंकिंग की सेवा,

किंतु इसके अंतर्गत निर्यात स्थोरा या यात्री सामान की उठाई-धराई या केवल माल का परिवहन नहीं है ;';

(5) खंड (31) में, ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(6) खंड (53) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(53क) ''सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर'' से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिरूप का कोई प्रतिरूपण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत स्रोत कोड और वस्तु कोड भी है, जो किसी यंत्र में पठनीय रूप में अंकित किया गया है और किसी कम्प्यूटर या स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के माध्यम से उपभोक्ता को परिचालित या पारस्परिक क्रिया करने के योग्य है ;';

(7) खंड (57क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(57क) ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) इंटरनेट आधार सेवाएं, जिसके अंतर्गत एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे इंटरनेट सेवा प्रदाता को दी गई इंटरनेट ट्रैफिक की वाहक सेवाएं भी हैं;

(ii) इंटरनेट पहुंच सेवाएं, जिसके अंतर्गत इंटरनेट से सीधे संपर्क और ग्राहक के वेब पृष्ठ के लिए स्थान का उपबंध भी है;

(iii) दूरसंचार सेवाओं का उपबंध, जिनके अंतर्गत इंटरनेट पर फैक्स, टेलीफोनी, ऑडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है ;';

(8) खंड (64) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''माल'' के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है ;

(ख) ''संपत्ति'' के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर भी है ;';

(9) खंड (68) में ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी अन्य व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(10) खंड (75) में ''किसी ग्राहक को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(11) खंड (86ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(86घ) ''प्रसंस्करण और निकासगृह'' से निकास निगम सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे निम्नलिखित के संबंध में निकासगृह के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा प्राधिकृत या समनुदेशित किया गया है—

(i) प्रतिभूति, माल या अग्रिम संविदाओं के विक्रय या क्रय और उनके अंतर के लिए या उनके संबंध में संविदाओं के आवधिक निपटान ;

(ii) प्रतिभूतियों, माल या अग्रिम संविदाओं के परिदान और उनके लिए संदाय ;

(iii) प्रतिभूतियों, माल और अग्रिम संविदाओं से आनुषंगिक या संबंधित कोई अन्य विषय ;';

(12) खंड (90क) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''स्थावर संपत्ति को किराए पर देना,'' के अंतर्गत किसी स्थावर संपत्ति में, उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण पर ध्यान दिए बिना, स्थान के प्रयोग की अनुज्ञा या अनुमति देना भी है ;';

(13) खंड (92) में, ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(14) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (ङ), उपखंड (ज), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यग), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यप), उपखंड (ययन) और उपखंड (ययब) में आरंभ में आने वाले ''किसी कक्षीकार को" शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (च), उपखंड (ठ), उपखंड (यख), उपखंड (यज), उपखंड (यङ), उपखंड (यण), उपखंड (यथ), उपखंड (यन), उपखंड (यय), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययत), उपखंड (ययफ) और उपखंड (ययभ) में आरंभ में आने वाले ''किसी ग्राहक को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(छ) किसी व्यक्ति को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी की शाखा भी है, किसी रीति में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा,

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी दोनों की शाखाओं में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में परामर्शी इंजीनियर द्वारा दी गई सेवाएं भी इस उपखंड के अधीन वर्गीकृत किए जाने के योग्य होंगी ;'';

http://indiabudget.nic.in

(घ) उपखंड (ड) में, ''किसी कक्षीकार को'' और ''कक्षीकार'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः ''किसी व्यक्ति को'' और ''ऐसा व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपखंड (ययट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ययट) किसी व्यक्ति को, विदेशी मुद्रा में किसी प्राधिकृत व्यवहारी या किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न किसी प्राधिकृत मुद्रा संपरिवर्तक या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है या उपखंड (यड) में निर्दिष्ट किसी अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान सहित किसी विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा ;'';

(च) उपखंड (यययप) में, ''इंटरनेट टेलीफोनी'' शब्दों के स्थान पर, ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (ययययघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

''(ययययङ) किसी व्यक्ति को, कारबार के या वाणिज्यिक प्रक्रम या अग्रसरण में प्रयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास,

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का अध्ययन, विश्लेषण, डिजाइन और कार्यक्रमण,

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का अनुकूलन, उन्नयन, संवर्धन, कार्यान्वयन और उससे संबंधित अन्य ऐसी सेवाएं,

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर से संबंधित विषयों पर सलाह, परामर्श और सहायता देना, जिसके अंतर्गत किसी पद्धति के कार्यान्वयन, डाटा आधारित डिजाइन के लिए विनिर्देशों, किसी नई पद्धति के आरंभिक चरण के दौरान मार्गदर्शन और सहायता, डाटा आधार को सुरक्षित रखने के विनिर्देश, स्वामित्व संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सलाह के संबंध में साध्यता अध्ययनों का संचालन करना भी है,

(v) वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के प्रयोग का अधिकार अर्जित करना, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के पुनः निर्माण, वितरण और विक्रय करने का अधिकार और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उत्पादों के सृजन और उनमें सम्मिलित किए जाने के लिए सॉफ्टवेयर घटकों के प्रयोग का अधिकार भी है,

(vi) इलैक्ट्रानिक रूप में प्रदाय किए गए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार अर्जित करना;

(ययययच) किसी पालिसीधारक को, यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन, जिसे सामान्य रूप से यूनिटबद्ध बीमा योजना (यूलिप) स्कीम के नाम से जाना जाता है, विनिधान के प्रबंध के संबंध में, जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) बीमाकर्ता द्वारा यूनिटबद्ध बीमा कारबार की पृथक् की गई निधि का प्रबंध, यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन विनिधान के प्रबंध के संबंध में पालिसीधारक को बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा ; और

(ii) उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली उक्त सेवाओं के लिए पालिसीधारक से बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित सकल रकम निम्नलिखित के बीच के अंतर के बराबर होगी,—

(क) यूनिटबद्ध बीमा योजना पालिसी के लिए पालिसीधारक द्वारा संदाय किया गया प्रीमियम; और

(ख) जोखिम के लिए, चाहे जीवन, स्वास्थ्य या अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हो, संदत्त या मान्य प्रीमियम की राशि और वास्तविक विनिधान के लिए, पृथक् की गई रकम ।

दृष्टांत

यूनिटबद्ध बीमा योजना पालिसी के लिए संदत्त कुल प्रीमियम = 100/- रुपए

जोखिम प्रीमियम = 10/- रुपए

वास्तव में विनिधान की गई रकम = 85/- रुपए

उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम = 5/- रुपए [100-(10 + 85)] ;

(iii) खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त, प्रभारित सकल रकम में बीमाकर्ता द्वारा यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन विनिधान के प्रबंध के संबंध में पालिसीधारक से बाद में प्रभारित, चाहे आवधिक रूप से या नहीं, कोई रकम सम्मिलित होगी ;

(ययययछ) किसी व्यक्ति को, प्रतिभूतियों के क्रय करने, विक्रय करने या उनमें व्यवहार करने के कारबार में सहायता देने, उसे विनियमित या नियंत्रित करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा;

(ययययज) किसी व्यक्ति को, किसी माल या अग्रिम संविदाओं के विक्रय या क्रय के कारबार में सहायता करने, उसे विनियमित या नियंत्रित करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत माल या अग्रिम संविदा के व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी और

संव्यवहारों के समाधान के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, किसी मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा ;

(ययययझ) किसी व्यक्ति को, प्रतिभूतियों, माल या अग्रिम संविदाओं के प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियों, माल और अग्रिम संविदाओं के आनुषंगिक या उससे संबद्ध कोई अन्य विषय भी हैं, किसी प्रसंस्करण और निकासी गृह द्वारा ;

(ययययञ) किसी व्यक्ति को, मूर्त माल के प्रदाय के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रयोग के लिए मशीनरी, उपस्कर और साधित्र, ऐसी मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों के कब्जे और प्रभावी नियंत्रण को अंतरित करने के अधिकार के बिना भी हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;'';

(15) खंड (106) में, ''माल या सामग्री या'' शब्दों के पश्चात्, ''सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(16) खंड (108) में, ''प्रक्रिया या सामग्री'' शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, ''प्रक्रिया या सामग्री या सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर'' शब्द रखे जाएंगे;

(17) खंड (109क) के उपखंड (ग) में, ''इंटरनेट टेलीफोनी'' शब्दों के स्थान पर, ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' शब्द रखे जाएंगे;

(18) खंड (115) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(115) ''पर्यटन प्रचालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के परिवहन द्वारा पर्यटन की योजना, समय सूची बनाने, उसका आयोजन या इंतजाम करने के कारबार में (जिसमें वास-सुविधा, दृश्य अवलोकन या अन्य वैसी ही सेवाओं का इंतजाम सम्मिलित हो सकेगा) लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र, मंजली गाड़ी के अनुज्ञापत्र से भिन्न, के अंतर्गत किसी पर्यटन यान या किसी भी नाम से ज्ञात संविदा वहन में पर्यटन का प्रचालन करने के कारबार में लगा हुआ है ।

1988 का 59

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''पर्यटन" पद के अंतर्गत किसी विषय या क्षेत्र के संबंध में कौशल या ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने वाले किसी शैक्षिक निकाय द्वारा, वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेंटर से भिन्न, उपयोग के लिए आयोजित या इंतजाम की गई यात्रा नहीं है ;';

(आ) धारा 66 में, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, ''और उपखंड (ययययघ)'' शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''उपखंड (ययययघ), उपखंड (ययययङ), उपखंड (ययययच), उपखंड (ययययछ), उपखंड (ययययज), उपखंड (ययययझ) और उपखंड (ययययञ)'' कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) धारा 67 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, ''बही समायोजन'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'बही समायोजन और जहां कराधेय सेवा का संव्यवहार किसी सहयुक्त उद्यम के साथ है, वहां सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे ''उचंत खाता'' या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, यथास्थिति, जमा की गई या उससे विकलित किसी रकम';

(ई) धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सेवा कर विवरणी के तैयारकर्ता के माध्यम से विवरणियों को प्रस्तुत किए जाने के लिए स्कीम।

''71. (1) धारा 70 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, धारा 70 के अधीन विवरणी तैयार करने और देने में किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगा और स्कीम के अधीन उस रूप में कार्य करने के लिए किसी सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, ऐसी रीति से, जो इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, विवरणी तैयार करने और देने में सहायता करेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता'' से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(ख) ''व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिससे धारा 70 के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी देने की अपेक्षा की गई है ।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया जाएगा ;

(ख) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा पूरा किए जाने वाला अपेक्षित प्रशिक्षण और अन्य शर्तें ;

(ग) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के लिए आचार संहिता ;

(घ) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं ;

(ङ) वे परिस्थितियां, जिनके अधीन किसी सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को दिया गया प्राधिकार वापस लिया जा सकेगा;

(च) कोई अन्य विषय, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है या किया जाए ।

सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण।

72. यदि सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यक्ति—

(क) धारा 70 के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है ;

(ख) विवरणी देने के पश्चात् इस अध्याय के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का निर्धारण करने में असफल रहता है,

तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लेखे, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उपलब्ध हैं या जो उसने इकट्ठी की हैं, उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कराधेय सेवा के मूल्य का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय या निर्धारिती को प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा।"।

(उ) धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

उन नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यत्र कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

''77. (1) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है या उससे रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, धारा 69 या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण कराने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की या नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा ;

(ख) जो इस अध्याय के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने, उनका अनुरक्षण करने या उन्हें प्रतिधारित करने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ;

(ग) कोई व्यक्ति जो—

(i) इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना देने में असफल रहता है; या

(ii) इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को पेश करने में असफल रहता है; या

(iii) जब उसे किसी जांच में कोई साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है; या

ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की या नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा;

(घ) जिससे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, इलैक्ट्रानिक रूप में कर का संदाय करने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ङ) जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार गलत या अपूर्ण ब्यौरों के साथ बीजक जारी करता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक का हिसाब रखने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अध्याय में अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।'।

(ऊ) धारा 78 के चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह भी कि यदि इस धारा के अधीन शास्ति संदेय है तो धारा 76 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।"।

(ए) धारा 83 में, ''धारा 35च'' शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ''धारा 35चच" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ऐ) धारा 86 में,—

(i) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश से भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो आदेश के

तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को यह निदेश देगा कि वह उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे।'';

(ii) उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु जहां आयुक्तों की समिति की राय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश से भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी जिन पर उसकी राय भिन्न है और अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को निर्देश देगा कि वह आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है, जिसकी उस मामले में संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।'।

(ओ) धारा 94 की उपधारा (4) में, ''बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 93 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 71 के अधीन बनाई गई स्कीम और धारा 93 के अधीन'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(औ) धारा 95 की उपधारा (1घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1ङ) यदि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा इस अध्याय में समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2008 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।''।